उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद की दिनांक १७.८.२००२ को सम्पन्न हुई १८४वीं

बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक १७ अगस्त, २००२ को बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:–

१–	श्री अतुल कुमार गुप्ता प्रमुख सचिव, नगर विकास उ० प्र० शासन ।	अध्यक्ष
२–	श्री वी० एन० गर्ग आवास आयुक्त	सदस्य
३–	श्री जय शंकर मिश्र सचिव, आवास उ० प्र० शासन ।	सदस्य
४–	श्री संजय भूसरेड्डी विशेष सचिव, आवास उ० प्र० शासन ।	सदस्य
५–	सुश्री स्मिता चौधरी विशेष सचिव, वित्त, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त उ० प्र० शासन ।	सदस्य
६–	श्री दया राम विशेष सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग प्रतिनिधि प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ० प्र० शासन ।	सदस्य
७–	श्री पी०सी०जैन प्रतिनिधि, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० जल निगम ।	सदस्य
८–	श्री वी०के०गुप्ता मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक उत्तर प्रदेश ।	सदस्य
९–	श्री एस०एम०ए०बुखारी मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
१०–	श्री देवेन्द्र दुबे, अपर आवास आयुक्त	सचिव

विशेष आमंत्री

१–	श्री कामरान रिजवी	अपर आवास आयुक्त
२–	श्री कृष्णाकर त्रिपाठी	वित्त नियंत्रक उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
३–	श्री सुबोध शंकर	मुख्य वास्तुविद नियोजक उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

बैठक दिनांक १७.८.२००२ में विचार–विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद संख्या	विषय	निर्णय
१	२	३
१८४/१.	परिषद की १८३वीं बैठक दिनांक १७.७.२००२ के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गई।
१८४/२.	परिषद की १८३वीं बैठक दिनांक १७.७.२००२ की अनुपालन आख्या।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं। यह भी निर्णय लिया गया कि ज्वाइंट वेन्चर के लिए उन नगरों को प्राथमिकता दी जाए जिनमें अभी आवासीय योजनाएँ पर्याप्त और प्रभावी रूप से विकसित नहीं हैं साथ ही साथ या तो वे मण्डलीय मुख्यालय हैं जैसे बस्ती, आजमगढ़, बाँदा आदि अथवा वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रगति पर हैं जैसे मऊ, भदोही आदि।
१८४/३.	सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता श्री एस०एस० जायसवाल को दिनांक २५.६.२००१ से २६.६.२००१ तक अर्थात कुल ६७ दिनों की अवधि के चिकित्सावकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
१८४/४.	परिषद के अभियन्ता अधिकारियों को जल निगम की भाँति दिनांक १.१.९६ तक प्रदत्त समयबद्व वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान की सुविधा को दिनांक १.१.९६ के आगे भी जारी रखे जाने के सम्बन्ध में।	जल निगम के प्रतिनिधि की ओर से इंगित किया गया कि कदाचित उनके यहाँ समयबद्ध वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान लागू नहीं है। अतः निर्णय लिया गया कि जल निगम से तत्संबंधी पुष्टि करा ली जाए, तत्पश्चात यदि जल निगम में यह सुविधा लागू हो तो प्रस्ताव परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
१८४/५.	संहत वेतन कम्प्यूटर आपरेटर को जूनियर प्रोग्रामर के पद पर विनियमितीकरण/समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि शासन से अनुरोध किया जाए कि इस प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु शासन स्तर पर संबंधित विभागों की बैठक करा ली जाए।
१८४/६.	परिषद बैठकों में निदेशक/ सदस्य के रूप में भाग लेने हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग,उ०प्र० शासन के प्रमुख सचिव को नामित किया जाना।	परिषद अवगत हुए।
१८४/७.	श्री राम लखन श्रीवास्तव, सहायक श्रेणी–द्वितीय को उनके हृदय रोग के इलाज/ आपरेशन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति एवं स्वीकृत अग्रिम के समायोजन एवं अवशेष के भुगतान हेतु शासन से कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में जो प्रकरण शासन को संदर्भित किए जाने हों उनके लिए परिषद के सम्मुख प्रस्ताव लाने की आवश्यक्ता नहीं है। ~~निर्णय लिया गया कि~~ इसके लिए परिषद ने आवास आयुक्त को अधिकृत किया। परिषद की सूचनार्थ एक सूची प्रस्तुत की जाया करेगी।
१८४/८.	श्री मनमोहन श्रीवास्तव,अवर अभियनता को उनके पुत्र के हृदय रोग के उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने	अनुमोदित।

	हेतु कार्योत्तर संस्तुति/अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	
१८४/९.	श्री महेश कुमार,अर्दली को चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
१८४/१०.	वास्तुविद् नियोजक/प्रभारी अधिकारियों के कार्यालयों हेतु दूरभाष उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	ग़ाज़ियाबाद स्थित वास्तुविद नियोजक कार्यालय के लिए एक फ़ोन तथा लखनऊ स्थित वास्तुविद नियोजक/प्रभारी अधिकारी कार्यालयों हेतु तीन लाइन का ई.पी.ए.बी.एक्स स्वीकृत किया गया।
१८४/११.	स्व०श्री अब्दुल हफीज, चपरासी के उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु शासन से कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
१८४/१२.	पूर्व में सृजित अधिशासी अभियन्ता के ५२ पदों में से अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) का एक अतिरिक्त पद "ईयरमार्क" करते हुए श्री बशीर अहमद, सहायक अभियनता (विद्युत/यांत्रिक) को प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं०–१६४४/ ९–आ–२–२००२, दिनांक १६.६.२००२ द्वारा प्राप्त निर्देशो के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण तथ्यों के साथ प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाए तथा परिषद स्तर से भी विधिक राय प्राप्त करके उच्चतम न्यायालय में भी कार्यवाही की जाए।
१८४/१३.	सिविल लाइन्स यो०सं०–२ बदायूँ के द्वितीय फेज की ८८.५७ एकड़ भूमि में ट्रंक सड़कों के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापिस लिया गया।
१८४/१४.	वेद व्यास पुरी योजना,मेरठ के सेक्टर–३ में ७४.३७ एकड़ भूमि में सड़कों के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापिस लिया गया।
१८४/१५.	लखनऊ की वृन्दावन योजना सं०–२ भाग–१ के सेक्टर–[illegible] में वाह्य विद्युतीकरण कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापिस लिया गया।
१८४/१६.	वृन्दावन योजना लखनऊ में एक २[illegible]५ एम०वी०ए० ३३/११ के०वी० पावर सब–स्टेशन के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापिस लिया गया।
१८४/१७.	वृन्दावन यो०सं०–२ भाग–१ में कालिन्दी वन पार्क के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापिस लिया गया।
१८४/१८.	कर्नल योगेन्द्र शर्मा के पंजीकरण सं०–डी०एन० /पी०– २१६७(१२) को वृन्दावन (तेलीबाग) योजना, लखनऊ हेतु	निर्णय लिया गया कि क्योंकि इस विषय पर परिषद १८१ वीं बैठक में नीतिगत निर्णय ले चुकी है और उसमें शिथिलीकरण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती अतः

	परिवर्तन के सम्बन्ध में।	अस्वीकृत।
१८४/१९.	कानपुर योजना सं०–२ के अल्प आय वर्ग भवन सं०–१७५४ के विरूद्व जमा धनराशि बिना कटौती वापस करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापिस लिया गया।
१८४/२०.	विकास नगर योजना में स्थित अल्प आय वर्ग भवन सं०–७/५३८ पर आरोपित दण्ड ब्याज को माफ करने के सम्बन्ध में।	प्रकरण में निर्णय लेने के लिए माननीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
१८४/२१.	श्रीमती शान्ति विष्ट को दृन्दावन योजना लखनऊ में उच्च आय वर्ग भवन ५० प्रतिशत मूल्य पर दिये जाने के सम्बन्ध मे।	केवल एक अपवाद स्वरूप कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि कारगिल शहीदों को वृन्दावन योजना में दी गई सुविधा सशस्त्र सेनाओं के अन्य युद्धों के शहीदों को भी परिषद की सभी योजनाओं में दिये जाने हेतु सुविचारित प्रस्ताव परिषद की आगामी बैठक में लाया जाए।
१८४/२२.	श्रीमती राजरानी देवी द्वारा इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में दुर्बल आय वर्ग भवन सं०–१७/५५२ के विरूद्व ब्याज माफी के सम्बन्ध में।	अस्वीकृत।
१८४/२३.	वसुन्धरा योजना,गाजियाबाद में श्रीमती वसीम जैदी एवं श्री असरार अहमद को आवंटित भूखण्ड सं०–१२/३०६ के सम्बन्ध में।	केवल अतिरिक्त ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया।
१८४/२४.	वीरभद्र मार्ग योजना,ऋषिकेश में स्थित भूखण्ड सं०–१४२ के विरूद्व आरोपित धनराशि के सम्बन्ध में।	अनिर्माण शुल्क माफ करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
१८४/२५.	हमीरपुर रोड़,नौबस्ता यो०सं०–२ कानपुर में आवंटित उच्च आय वर्ग भवन सं०–५ए–७४३ एवं ५ए–७४४ का ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में।	केवल अतिरिक्त ब्याज माफ किया गया। आबंटियों का बीमा कराने के संबंध में जानकारी एकत्र कर परीक्षण करने की भी अपेक्षा की गई।
१८४/२६.	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की शास्त्रीनगर यो०सं०–७,मेरठ के सेक्टर–१० व ११ के दुर्बल आय वर्ग के भवनों के आवंटियों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।	परिषद के अधिकारियों की एक समिति बना कर इस प्रकार के प्रकरणों के लिए नीतिगत प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
१८४/२७.	बुद्वि विहार योजना,मुरादाबाद में श्रीमती संतोष कुमारी को आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन सं०–१ए–१७६ के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि यदि आबंटी न्यायालय से वाद वापिस ले लें तो अतिरिक्त ब्याज माफ कर दिया जाए।
१८४/२८.	परिषद की शाहपुर योजना सं०–२/३ गोरखपुर में श्रीमती सावित्री देवी व अन्य व्यक्तियों द्वारा परिषद की भूमि को अतिकमित/अनाधिकृत निर्माण द्वारा	निर्णय लिया गया कि आवासीय भूमि के संबंध में वर्तमान दर पर आबंटित किया जाए तथा व्यावसायिक भूखण्डों के लिए यह देख लिया जाए कि निकट भूत में इन भूखण्डों के निकस्थ व्यावसायिक भूखण्ड किस दर पर नीलाम हुए

	उपयुक्त भूमि उपयोग किए जाने की दशा में आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में।	और प्रस्ताव तथा इस दर के मध्य जो दर अधिक हो उसको लागू किया जाए। शेष शर्तें प्रस्ताव के अनुसार रहेंगी।
१८४/२९.	हरपुर योजना बलिया में दुर्बल आय वर्ग भवन सं०–२ए/४४० एवं २ए/४४१ के सम्बन्ध में।	केवल अतिरिक्त ब्याज माफ किया गया।
१८४/३०.	परिषद की महादेव झारखण्डी योजना गोरखपुर में श्री दीनानाथ तिवारी के पक्ष में आवंटित व्यावसायिक भूखण्ड सं०–सी–७ के स्थान पर व्यावसायिक भूखण्ड सं०–५ के आवंटन के सम्बध में।	कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
१८४/३१.	विकास नगर योजना लखनऊ में व्यावसायिक भूखण्ड सं०–२/ सी–५८ के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। भविष्य के लिए निर्णय लिया गया कि निरस्तीकरण की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात कोई भी पुनर्जीवन नहीं किया जायेगा।
१८४/३२.	परिषद की भरतपुरी योजना गोण्डा के आवासीय भूखण्ड सं०–१२१०, १२११ व १२१२ के अनिर्माण शुल्क की माफी के सम्बन्ध में।	अस्वीकृत।
१८४/३३.	राजाजीपुरम योजना लखनऊ में दुकान सं०–एस–२४१ के विरूद्व दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में इंगित गणना का पुनर्परीक्षण कर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
१८४/३४.	देहली रोड़ योजना,हरिद्वार के अन्तर्गत श्री सुरेश कुमार कौशिक तथा श्री आनन्द स्वरूप कौशिक को आवंटित भूखण्डों के सम्बन्ध मे।	प्रार्थीगण को बुला कर वार्ता करने का निर्णय किया गया।
१८४/३५.	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में बंगाली एसोसिएशन को भूखण्ड का आवंटन।	निर्णय लिया गया कि क्योंकि इस प्रकार के प्रकरण अन्य संस्थाओं द्वारा परिषद की अन्य योजनाओं में तथा अन्य प्राधिकरणों में भी आ सकते हैं अतः पहले इसकी नीति बनाकर शासन को प्रेषित की जाए।
१८४/३६.	विकास नगर योजना में सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय हेतु आरक्षित भवन सं०–४/५५७ के आवंटन के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि क्योंकि कार्यालय को स्वयं एक अतिरिक्त कक्ष की आवश्यक्ता है इसलिए भवन ४/५५७ के आबंटन को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर इनको किसी दूसरे भवन का आफर दे दिया जाए।
१८४/३७.	यू०पी०आई०एल० कैम्पस लखनऊ स्थित स्वंय वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि माननीय अध्यक्ष विधान सभा के पत्र के कम में केवल अतिरिक्त ब्याज तथा पुनर्जीवन शुल्क माफ किया जाए।
१८४/३८.	परिषद के अधिकारियों/ कर्मचारियों को दो सम्पत्तियों का आवंटन।	इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि लागू करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त कर ली जाए।
१८४/३९.	शासन द्वारा महोली यो०सं०–१, मथुरा की ६.७५ एकड़ भूमि के असुधार/विकास शुल्क के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८४/४०.	श्री वीरेन्द्र कुमार मित्तल, निवासी–काशीपुर,जनपद–ऊधम सिंह	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

	नगर स्थित भूमि खसरा सं०–१६० में समाविष्ट २४०० वर्ग फुट को अर्जन से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।	
१८४/४१.	भूमि विकास एवं गृह स्थान यो०सं०–३,गाजियाबाद के ग्राम– साहिबाबाद के खसरा सं०–५०१–म, ६१७–म, ६३६, ६४०, ६४७–म, ६५६, ७००–म की ३–१३–० बीघा भूमि शासन द्वारा परित्याग करने विषयक।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८४/४२.	वृन्दावन भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना सं०–२, लखनऊ(पूरक) की धारा–२८ का प्रस्ताव।	अनुमोदित।
१८४/४३.	राजाजीपुरम(तालकटोरा योजना) लखनऊ में समाविष्ट ग्राम– बिहारीपुर में स्थित खसरा सं०–२६०, २६३,२६६, ३००, ३०१,३०२, ३०५,३११, ३१४,३१५ व ३१६ की भूमि के समबन्ध में श्री रियासत नवाब का प्रत्यावेदन।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८४/४४.	वृन्दावन यो०सं०–२ लखनऊ में डिफेन्स कर्मचारी सहकारी आवास समिति भूमि के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८४/४५.	वृन्दावन यो०सं०–२ लखनऊ में कार्यरत/सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा अवैध रूप से कय की गई भूमि व उस पर किये गये निर्माणों के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह लगाया कि यदि भूखण्ड २०० वर्ग मी० से अधिक है तो २०० वर्ग मीटर से जितना क्षेत्रफल अधिक है उस पर वर्तमान दर लगाई जायेगी।
१८४/४६.	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम– इस्माईलगंज के खसरा सं०–१२६ रकबा १–१३–१० बीघा भूमि के विकास शुल्क पर लगाये गये ब्याज को ५० प्रतिशत तक माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८४/४७.	हरपुर योजना बलिया में समाविष्ट खसरा सं०–६६ के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार सेठ द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं०–१२१४३/२००२ में मा० उच्च न्यायालय के दिनांक २.४.२००२ को पारित आदेश के अन्तर्गत याची श्री अशोक कुमार सेठ के प्रत्यावेदन पर विचार।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८४/४८.	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में वार्तालोक सहकारी आवास समिति हेतु द्वितीय चरण में एफ–६० प्रकार के ३२ नग, एफ–७६ प्रकार के ६६ नग एवं एफ–११७ प्रकार के ३२ नग कुल १६० नग चार मंजिला	परिषद ने इस बिन्दु पर गंभीर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कि यह कार्य बगैर परिषद की पूर्व अनुमति के प्रारंभ कर दिया गया था परियोजना की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की और निर्णय लिया कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न की जाए।

	भवनों का निर्माण।	यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के कार्य भुगतान प्राप्त होने के विरुद्ध ही किए जायें और जिस स्तर पर भुगतान रुक जाए उसी स्तर पर कार्य भी रोक दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि की दर सामान्य नियमों के अनुसार यथा प्रस्तावित ही लगाई जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना का भौतिक हस्तांतरण पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही किया जाए।
१८४/४९.	श्री शिव प्रसाद,सहायक अभियन्ता को दिनांक २८.६.२००१ से २३.३.२००२ तक कुल १७६ दिनों की अवधि के चिकित्सा अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
१८४/५०.	श्री रतन कुमार सिन्हा,सहायक विधि अधिकारी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु कार्योत्तर संस्तुति एवं भुगतान हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
१८४/५१.	शासनादेश सं०–३२८/६–आ–२–२००२,दिनांक २८.२.२००२ द्वारा सृजित अधिशासी अभियनता(सिविल) के अनुसूचित जाति के दो अधिसंख्य पदों पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में ।	शासनादेश में उल्लिखित सहायक अभियंतागण श्री चन्द्रमा राम तथा श्री प्रमोद कुमार के लिए दो वर्ष की नॉन वर्किंग अवधि की शर्त में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि नियमानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति गठित की जाए जो नियमों के अनुसार कार्यवाही करते हुए संस्तुतियाँ करेगी और उस पर संबंधित नियमों के अंतर्गत उचित निर्णय लिया जाए तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करा दिया जाए।
१८४/५२.	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची(प्रथम) व (द्वितीय)।	प्रस्ताव वापिस लिया गया।
१८४/५३.	परिषद द्वारा हडको ऋण से पोषित की जाने वाली परियोजनाओं के संचालन के सम्बन्ध में।	हडको से ऋण लिए जाने के संबंध में अगली बैठक में प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाए। परिषद की १७८ वीं बैठक में आवासीय भवनों एवं आवासीय भूखण्डों हेतु पुनरीक्षित की गई ब्याज की दरों को १६ प्रतिशत से घटा कर १३ प्रतिशत तथा १४ प्रतिशत से घटाकर १२ प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया। पुनरीक्षित दरें दिनांक ०१.०६.२००२ से प्रभावी होंगी।
१८४/५४.	परिषद की योजनाओं में पैट्रोल पम्प व डीजल पम्प हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८४/५५.	जी०टी० रोड बाई पास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना,वाराणसी का धारा–२८ हेतु प्रस्ताव का प्राक्कलन।	अनुमोदित।
१८४/५६.	कुर्सी रोड विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट भूमि खसरा सं०–२६४ रकबा २	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

	बीघा १ बिस्वा ६ विस्वांसी स्थित ग्राम बटहा सबौली व खसरा सं०–१/२ रकबा १३ बिस्वा स्थित ग्राम खुर्रम नगर परगना व तहसील लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में।	
१८४/५७.	कुर्सी रोड विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट भूमि खसरा सं०–५२६ रकबा २ बिस्वा १३ विस्वांसी स्थित ग्राम बटहा सबौली व खसरा सं०–१६१ रकबा १ बीघा २ बिस्वा १६ विस्वांसी स्थित ग्राम आदिलनगर परगना व तहसील लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
	माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न दो प्रस्ताव लाए गए:	
१८४/५८ (१)	अनधिकृत निर्माण के विनियमितीकरण हेतु "सरल शमन योजना – २००२" लागू करने के लिए शासनादेश संख्या ३४७८/६–आ–१–२००–६७ डी.ए./२००२ (आ ब) दिनांक १४.०८.२००२ द्वारा जारी उक्त योजना को परिषद में लागू किया जाना।	अनुमोदित किया गया।
१८४/५८ (२)	लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना में परिषद की भागीदारी।	अनुमोदित किया गया।

पुष्टि की गई